कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक चित्तौड़गढ

कार्यालय – आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा – 2013 में अभिस्तावित संलग्न सूची अनुसार अभ्यर्थियों को श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/साप्र/बी–1/2856/आरपीएससी–2013/17–18 दिनांक 28.02.2018, दिनांक 25.02.2018 एवं दिनांक 22.02.2018 के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को **लिपिक ग्रेड–।।** के पद पर दो वर्ष की अवधि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय/विद्यमान वेतन मान के नियत मानदेय पर राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर निदेशालय में आयोजित परामर्श शिविर में उपस्थित अभ्यर्थियों को प्रस्तुत विकल्प के आधार पर एवं उपस्थित नहीं होने अथवा उपस्थित होने के उपरान्त विद्यालय का चयन नहीं करने पर शेष रही रिक्तियों पर पदस्थापित किया जाता है। नियुक्त अभ्यर्थीयों को राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल 05 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 14600/– रू. प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही श्रीमान् निदेशक महोदय के पत्रांक शिविरा–माध्य/ साप्र/ बी–1/2856/आरपीएससी–2013/17–18 दिनांक 28.02.2018 में अंकित बिन्दु संख्या 1 से 11 एवं आदेश दिनांक 25.02.2018, दिनांक 22.02.2018 के अनुसार की गयी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश क्रमांक प. 7(2)कार्मिक/क–2/15/पाट दिनांक 22.05.17 में अंकित विशेष पिछड़ा वर्ग के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की गयी है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई आधार पर मानी जावेगी।

संबधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगेः–

1. इन अभ्यर्थियों के उपर्युक्त परीक्षा के मूल आवेदन पत्र उनकी निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु संलग्न कर भेजे जा रहे है।
2. इन अध्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता(Computer संबंधी) आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी./विकलांग आदि) के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपनी संतुष्टि कर लें कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना सही है। इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं/प्रमाणपत्रों, आयु, जाति, आरक्षण संबन्धी एंव अन्य दस्तावेजो की मूल दस्तावेजो से मिलान कर उसकी एक–एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखो में सुरक्षित रखेंगें। अभ्यर्थी को कार्यग्रहण कराने से पूर्व इनको संबंधित सेवा नियम राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत एवं विज्ञापन में दर्शायी गयी शर्तो यथा आयु, वर्ग(Category) एवं योग्यता का उनके समस्त मूल प्रमाण पत्रों से एवं उनके आवेदन पत्र की प्रविष्टियों से मिलान करे, कोई भिन्नता /संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेंगें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा/विधवा महिलाओ से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र एवं अन्य नाम–उपनाम सम्बन्धी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
3. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र निर्धारित प्रोफार्मा में कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2011 एवं दिनांक 20.11.2015 की अनुपालना में पूर्ति करावें।
4. यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ Attestation Form प्राप्त नहीं है तो अपने स्तर पर भरवाकर कार्यग्रहण संबंधी कार्यवाही करे आचरण की जांच का इन्तजार नहीं किया जावें। आचरण के पुलिस सत्यापन में अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकुल रिपोर्ट पायी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। साथ ही आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लायी जावेगी। यदि किसी अभ्यर्थी की उनको पूर्व में आवंटित विभाग द्वारा जांच करवा ली गई है तथा जो अभ्यर्थी पहले से ही राज्य सेवा में कार्यरत है तो उनका पुनः सत्यापन करवाया जाना आवश्यक नहीं है।
5. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।
6. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/– रू के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र निधारित प्रपत्र में पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

594
09.03.2018

7. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पायी जावे तो कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को सूचना तत्काल भिजवाई जावे।
8. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए, महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। **उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कार्यग्रहण कराया जावें। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।**
9. कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छायाचित्र(फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे की वही अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त करे जिसका आवेदन पत्र पर छायाचित्र चस्पा है।
10. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 की अनुपालना में अस्थाई परिणाम दिनांक 07.07.2017 को घोषित किया गया। अधीनस्था कार्यालयों/विभागों के लिए नवीनतम रूप से अस्थाई चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 21.11.2017 को जारी की गई में नियुक्तियां आवंटित पदों के संबंध में डी.बी. अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी। एसबीसी वर्ग में अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों में से अस्थाई रूप से स्पष्ट रूप से पाये गये अभ्यर्थी जिनका परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464–1466/2017 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैपटन गुरूवेन्द्र सिंह एवं अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अध्यधीन रहेंगे।
11. **कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एंव दस्तावेज सही है , इनके त्रुटिपूर्ण , जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एंव इनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।**
12. विवाहित एंव अविवाहित अभ्यर्थियों से संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/–रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर दहेज नही लेने सम्बधीं शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगें।
13. कार्यग्रहण करवानें से संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
14. इन अभ्यर्थीयों को स्थानीय कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन कराने उपरान्त ही कार्यग्रहण कराया जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर पदस्थापित स्थान पर दिनांक 23.03.2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नही पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी। **इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना तुरन्त अपडेट करे।**

(हेमन्त कुमार द्विवेदी)
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) चित्तौड़गढ़

क्रमांकः–जिशिअचि–माध्य/संस्था–I/कनिष्ठ सहा0/नियु./2018/594 दिनांकः– 09/03/2018

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव स्कूल एंव संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् शासन उपसचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान् निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. श्रीमान् उप निदेशक महोदय, माध्यमिक, उदयपुर।
5. सम्बन्धित प्रधानाचार्य राउमावि .....
6. सम्बन्धित श्री .....
7. कार्यालय प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) चित्तौड़गढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी ,माध्यमिक, चित्तौड़गढ़

क्रमांक :–जिशिअचि–माध्य/संस्था–I/कनिष्ठ सहा0/नियु./2018/594 दिनांकः 09–03–2018

क्रं.स.	मेरिट नम्बर	रोल नम्बर	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान	पंचायत समिति
1	5033	716715	JYOTI SHARMA	VISHNU DUTT SHARMA	03-09-1987	राउमावि रावतभाटा	भैंसरोड़गढ़
2	5482	441571	SEEMA KUMARI DHAKER	PYAR CHAND	21-06-1990	श्री मा.ला.व. राउमावि भदेसर	भदेसर
3	3028	491489	RAJESH KUMAR DHAKER	BADRI LAL	04-07-1991	राउमावि मण्डेसरा	भैंसरोड़गढ़

(हेमन्त कुमार द्विवेदी)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, चित्तौड़गढ़